RT [illegible]

20/12/24 आज यह पत्रावली वादिया [illegible] देवी के प्रार्थना पत्र से तलब होकर पेश हुई। वादिया के [illegible] उपरांत Not Press से खारिज कर Close करते [illegible] सहमति स्वयं वकील वादिया ने हस्ताक्षर किये हैं। वादिया का वाद Not Press से खारिज Close करा है। पत्रावली निस्तारित [illegible] के कारण है अतः निस्तारित करने योग्य है। अतः आज से हाल प्रचलन वादिया का प्रार्थना फलतः पत्रावली रद्द है।

20/12/2024

अधिकारी
उप-खण्ड अधिकारी
[illegible]-बिजार

को पेश की।

20/12/24 को फागवती प्रार्थिका लाली देवी के प्रार्थना पत्र से प्रारम्भ हुई। प्रार्थिका के द्वारा दिये गये उत्तर बाद नोट Press के रजिस्टर पर दिया गया इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र से संलग्नित होने बाद नोट Press के रजिस्टर किया गया है कुल रकम प्रा० का 212 रुपये का कोर्ट फीस चस्पा की गयी इसके अलावा 212 रुपये भी नोट Press के रजिस्टर Com. प्रारम्भ में फागवती कुमार उम्र 60 वर्ष के हैं। बाद तकमील कार्यवाही उक्त बाद रहे।

20/12/2024

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ावर (सैरवाल-सिरोही)

अंगूठा लाली देवी
गवाह